

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी-विंग', 59, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./6554/NREGS-MP/स्थापना/एनआर-2/2011

भोपाल, दिनांक 22.6.2011

प्रति,

प्रबंधक संचालक,
म.प्र. माध्यम
भोपाल (म.प्र.)

विषय :- संशोधित विज्ञापन प्रकाशन विषयक।

संदर्भ :- परिषद का पत्र क्र. 5552/एनआर-2/दिनांक 1.6.2011

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि 20.6.2011 में संशोधन करते हुये आवेदन की अंतिम तिथि 2.7.2011 करने हेतु संशोधित विज्ञापित जारी करने का कष्ट करें। विज्ञापन का प्रारूप संलग्न है।

कृपया दैनिक समाचार पत्र (दैनिक भास्कर) के समस्त संस्करणों में एवं राज्य स्तरीय के दो अन्य समाचार पत्र में तथा "रोजगार एवं निर्माण" साप्ताहिक समाचार पत्र के आने वाले संस्करण में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(वेद प्रकाश)
संयुक्त आयुक्त (प्रशा0)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
भोपाल

==संशोधित प्रेस विज्ञप्ति==

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी-विंग', 59, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./6555/एनआरईजीएस-म.प्र./स्था./11 भोपाल, दिनांक 22.6.2011 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों/जनपदों में विभिन्न पदों पर संविदा से रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने हेतु योग्य उम्मीदवारों से निम्न पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान/मासिक संविदा पारिश्रमिक
1	उपयंत्री	1261	18125 / -
2	वरिष्ठ डाटा मैनेजर	09	30450 / -
3	डाटा एन्ट्री आपरेटर	274	11020 / -
4	तकनीकी सहायक	09	4500 /-
5	सहायक प्रबंधक (MIS)	313	18705 /-
6	सहायक मानचित्रकार	10	11020 /-
7	लेखापाल	11	11020 /-

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सीधे संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को प्रेषित किये जावें। जिला पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 2.7.2011 है। (इसी विज्ञापन के पूर्व प्रकाशन में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 20.6.2011 के रूप में प्रकाशित की गई थी, जिसे संशोधित कर तिथि 2.7.2011 किया गया है।) आवेदन का प्रारूप, शैक्षणिक अर्हताएँ, जिलेवार रिक्त पदों की जानकारी एवं संविदा नियुक्ति शर्तें परिषद की बेबसाईट www.nregs-mp.org पर उपलब्ध है।

(वेद प्रकाश)

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद

भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी-विंग', 59, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./6555/एनआरईजीएस-म.प्र./स्था./11 भोपाल, दिनांक 22.6.2011 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों/जनपदों में विभिन्न पदों पर संविदा से रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने हेतु योग्य उम्मीदवारों से निम्न पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान/मासिक संविदा पारिश्रमिक	अर्हतायें
1	2	3	4	5
1	उपयंत्री	1261	18125 / -	सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा, निर्माण कार्य में अनुभवी को प्राथमिकता, आरक्षित वर्ग हेतु अनुभव में शिथिलता दी जावेगी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष रहेगी। सेवानिवृत्त उम्मीदवार के चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष रहेगी।
2	वरिष्ठ डाटा मैनेजर	09	30450 / -	स्नातक - सूचना प्रौद्योगिकी/ कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन। अथवा 45% अंकों सहित स्नात्कोत्तर - सूचना प्रौद्योगिकी/ कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन। अथवा स्नात्कोत्तर गणित /सांख्यिकी के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से PGDCA/DCA अनुभव - डाटा प्रबंधन/आरडीबीएमएस तथा Design and development of web enabled software/ My Sql Server/ MS Access एवं ASP or ASP.Net/ बेब इनेवल्ड साफ्टवेयर में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष रहेगी।
3	डाटा एन्ट्री आपरेटर	274	11020 / -	किसी भी विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको सहित स्नातक एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पॉलीटेक्निक डिप्लोमा DCA / PGDCA / DOEACC Level प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। म.प्र.शासन के हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा में हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। अंग्रेजी मुद्रलेखन के ज्ञान को प्राथमिकता दी जावेगी। किसी विभाग/निगम/ मण्डल/उपक्रम/आयोग/ फर्म अथवा शासकीय अथवा अशासकीय संस्था में डाटा एन्ट्री के कार्य एवं इन्टरनेट कार्य का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष रहेगी।
4	तकनीकी सहायक	09	4500 /-	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल से (10+2) 12 वीं कक्षा गणित विषय के साथ परीक्षा उत्तीर्ण (अनारक्षित श्रेणी के लिये (10+2) 12वीं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये (10+2) के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होने पर 10 वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अवसर दिया जावेगा।) तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) से "ग्रामीण इंजीनियर" (मेसन) रूप में कार्य करने हेतु 110 दिवस का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। ऐसे आवेदक ही तकनीकी सहायक पद हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। एनसीसी/खेलकूद/कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान रखने वाले आवेदको को अतिरिक्त अंक दिये जावेंगे। न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष रहेगी।

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान/मासिक संविदा पारिश्रमिक	अर्हतायें
1	2	3	4	5
5	सहायक प्रबंधक (MIS)	313	18705 /-	स्नातक – सूचना प्रौद्योगिकी/ कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन। अथवा 45% अंकों सहित स्नात्कोत्तर – सूचना प्रौद्योगिकी/ कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर एप्लीकेशन। अथवा स्नात्कोत्तर गणित /सांख्यिकी के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से PGDCA/DCA अनुभव – डाटा प्रबंधन/आरडीबीएमएस तथा Design and development of web enabled software/ My Sql Server/ MS Access एवं ASP or ASP.Net/ बेब इनेवल्ड साफ्टवेयर में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष रहेगी।
6	सहायक मानचित्रकार	10	11020 /-	मान्यता प्राप्त संस्था से आई.टी.आई. से मानचित्रकार (सिविल) (Draftsman) (Civil) या सर्वेयर (Surveyor) की परीक्षा उत्तीर्ण। किसी शासकीय विभाग/निगम/मण्डल/उपक्रम /आयोग/फर्म अथवा अशासकीय संस्था की स्थिति में रूपये 3 करोड़ वार्षिक टर्न ओवर होना आवश्यक है। संस्था से जारी प्रमाण पत्र में वार्षिक टर्नओवर का स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य है। टर्न ओवर उसी वर्ष का मान्य किया जावेगा जिस वर्षों में अभ्यर्थी ने कार्य किया हों। न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष रहेगी।
7	लेखापाल	11	11020 /-	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से एम.बी.ए.(फाईनेन्स) अथवा एम.कॉम., आवेदक को शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में पी.जी.डी.सी.ए./डी.सी.ए. पॉलीटेकनिक डिप्लोमा/ DOACC O LEVEL प्रमाण पत्र एवं एकाउन्ट टैली का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। किसी शासकीय विभाग/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/फर्म अथवा अशासकीय संस्था में लेखा संबंधित लेखा कार्य में 2 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। अशासकीय संस्था की स्थिति में रूपये 3 करोड़ वार्षिक टर्न ओवर होना आवश्यक है। संस्था से जारी प्रमाण पत्र में वार्षिक टर्नओवर का स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य है। टर्न ओवर उसी वर्ष का मान्य किया जावेगा जिस वर्षों में अभ्यर्थी ने कार्य किया हों। न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष रहेगी।

1. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सीधे संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को प्रेषित किये जावें। जिला पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 2.7.2011 है। (इसी विज्ञापन के पूर्व प्रकाशन में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 20.6.2011 के रूप में प्रकाशित की गई थी, जिसे संशोधित कर तिथि 2.7.2011 किया गया है।) आवेदन का प्रारूप, जिलेवार रिक्त पदों की जानकारी एवं संविदा नियुक्ति शर्तें परिषद की वेबसाइट www.nregs-mp.org पर उपलब्ध है।
2. अ.ज.जा./अ.जा./अ.पि.र्ग./महिला अभ्यर्थियों को म.प्र.शासन द्वारा नियमानुसार छूट की पात्रता होगी।
3. लिफाफे पर पदनाम अवश्य लिखा जावे।
4. संविदा पद हेतु मध्यप्रदेश शासन के रोस्टर अनुसार आरक्षण रहेगा। प्रथम संविदा अवधि उस वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक रहेगी। तदुपरांत कार्य मूल्यांकन के आधार पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1 वर्ष हेतु संविदा अवधि बढ़ाई जावेगी। कार्य संतोषजनक न होने पर संविदा अवधि में वृद्धि नहीं करते हुये संविदा सेवा समाप्त की जा सकती है।
5. पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, संपूर्ण विज्ञापन निरस्त किया जा सकता है, अथवा किसी भी पद की विज्ञापित को भी निरस्त किया जा सकता है।

6. प्रत्येक पद के आवेदन अलग-अलग स्वीकार किए जावेंगे। बेबसाईट पर उपलब्ध आवेदन पत्र का प्रारूप ही मान्य होगा। आवेदन पत्र पूर्णरूप से भरा होना चाहिए जिसमें पद नाम एवं मांगे गए पद के शर्तानुसार सभी प्रकार के प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न होना आवश्यक है अन्यथा आवेदनकर्ता के आवेदन पत्र को अयोग्य माना जावेगा।
7. आवेदक द्वारा प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक 100/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट अथवा पोस्टल आर्डर संलग्न करना होगा। जो कि संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के नाम देय होगा।

(वेद प्रकाश)
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

संविदा नियुक्ति की शर्तें

1.0 संविदा अवधि –

- 1.1 योजनांतर्गत संविदा की अवधि उस वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक रहेगी। तदुपरांत कार्य मूल्यांकन के आधार पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1 वर्ष के लिये संविदा बढ़ाई जावेगी।
- 1.2 प्रत्येक वर्ष वार्षिक मूल्यांकन किया जावेगा। प्रथम वर्ष के अंत में संविदा अवधि पूर्ण होने पर जिले में नियोक्ता द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के कार्य मूल्यांकन के प्रतिवेदन के आधार पर आगामी 01 वर्ष के लिए अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
- 1.3 संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का वार्षिक कार्य-मूल्यांकन संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उनकी सेवा अवधि समाप्त की जा सकती है।
- 1.4 संविदा नियुक्ति की दशा में की गई नियुक्ति के आधार पर नियमितकरण संबंधी कोई दावा मान्य नहीं किया जायेगा।

2.0 मानदेय/पारिश्रमिक :-

संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक/मानदेय का निर्धारण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार किया जावेगा।

3.0 ई.पी.एफ. कटौती-

ई.पी.एफ. कटौती के संबंध में ई.पी.एफ. फण्ड एण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 के प्रावधान लागू होंगे।

4.0 भत्ते एवं अन्य सुविधायें –

संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं का निर्धारण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार किया जावेगा।

5.0 अवकाश –

- (क) आकस्मिक अवकाश – संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार 01 वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।
- (ख) चिकित्सा अवकाश – संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार 01 वर्ष में 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा अवकाश न लिए जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में नहीं जोड़ा जावेगा।
- (ग) प्रसूति/पितृत्व अवकाश – संविदा पर नियुक्त महिला अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार 90 दिन (तीन माह) के प्रसूति अवकाश की पात्रता मानदेय की राशि सहित होगी। पुरुष कर्मचारी को 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की मानदेय की राशि सहित पात्रता होगी। प्रसूति एवं पितृत्व दोनों अवकाश मात्र दो जीवित संतानों तक ही देय होगा। प्रसूति संबंधी गंभीर चिकित्सकीय आवश्यकताओं हेतु महिला संविदा कर्मियों हेतु 90 दिन का बिना पारिश्रमिक के अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। स्वीकृति यह अधिकार मुख्यालय स्तर पर संबंधित योजना/कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी तथा जिले में संबंधित नियोक्ता को होगा।

6. अनुबंध –

- 6.1 संविदा पर प्रथम नियुक्ति के समय नियुक्ति अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्ति प्राधिकारी के साथ 100 रूपए के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर बाण्ड निष्पादित करना होगा। जिसके निष्पादन पर होने वाला समस्त व्यय उनके द्वारा वहन किया जावेगा।
- 6.2 संविदा अवधि के 01 वर्ष के लिए नवीनीकरण के समय अधिकारियों/कर्मचारियों को 100 रूपए के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर बाण्ड निष्पादित करना होगा। जिसके निष्पादन पर होने वाला समस्त व्यय उनके द्वारा वहन किया जावेगा। यदि वह संविदा अवधि 01 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व पद से त्याग पत्र देता है तो उसे बाण्ड के अनुसार उल्लेखित धनराशि जो उनके पारिश्रमिक/मानदेय के तीन माह के बराबर होगी, शासन के पास जमा करनी होगी।
- 6.3 अभ्यर्थी को 50 रूपए के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर जिला, कलेक्टर के साथ अनुबंध भी करना होगा।
- 6.4 वित्तीय एवं लेखा संबंधी दायित्वों से जुड़े वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी को रूपए 10000/- तथा लेखापाल एवं कैशियर को रूपए 5000/- का प्रतिभूति बाण्ड पृथक से जमा करना होगा।

7.0 विशेष –

संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की स्थायीकरण हेतु कोई पात्रता नहीं है और वह भविष्य में नियमितीकरण/स्थाईकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।

8.0 अन्य –

- 8.1 जिस जिले में नियुक्ति दी गई है उस जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थित होने के पश्चात 07 दिन की अवधि में संबंधित सक्षम शासकीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
- 8.2 संविदा नियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित अवधि के पूर्व संस्था द्वारा बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेगी।
- 8.3 एक वर्ष की अवधि के पश्चात संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।
- 8.4 संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को कोई भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
- 8.5 कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
- 8.6 संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को समय-समय पर सौंपे गए अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।

- 8.7 मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर संविदा नियुक्ति के संबंध में जारी आदेश/संशोधन इस नियुक्ति पर भी लागू/बंधनकारी होंगे।
- 8.8 नियुक्ति पत्र में दर्शायी तिथि तक संबंधित जिले में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।
- 8.9 संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को आधारभूत एवं उसके दायित्वों से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा।
- 8.10 संविदा पर कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने की सूचना संबंधित जिला कलेक्टर को संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के माध्यम से भेजेंगे, जो अभ्यर्थियों द्वारा पद ग्रहण करने की सूचना संबंधित योजना/कार्यक्रम के मुख्यालय स्थित प्रभारी अधिकारी को भेजेंगे।
- 8.11 संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जायेगी।
- 8.12 संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे।
- 8.13 चयनित अभ्यर्थी उसका पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
- 8.14 विवाद की स्थिति में विभाग/संस्था के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन प्रारूप

फोटो

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत

मध्यप्रदेश

1. पद का नाम (संविदा)
2. आवेदक का नाम
3. पिता का नाम
4. जन्म तिथि (प्रमाण पत्र सहित) आयु वर्ष माह.....दिन.....
5. गृह जिला
6. शैक्षणिक अर्हताएँ :-

स.क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	प्रतिशत	श्रेणी	ग्रेड

7. अनुभव :-

पद का नाम	कार्यालय/संस्था का नाम	कब से	कब तक	कुल वर्ष	किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण	मासिक वेतन

8. वर्तमान पता

.....
.....

9. स्थायी पता

.....
.....
.....

10. दूरभाष एवं मोबाईल न. नि०मो०

//घोषणा //

मैं, घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी सत्य है कोई भी जानकारी असत्य या अपूर्ण होने पर इसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

स्थान

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

क्र.	नाम जिला	उपयंत्रि					वरिष्ठ डाटा मैनेजर					डाटा एन्ट्री ऑपरेटर					तकनीकी सहायक					सहायक प्रबंधक (एम.आई.एस.)					लेखापाल (बारहमासी)					सहायक मानचित्रकार (बारहमासी)					डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (बारहमासी)				
		UNR	OBC	SC	ST	Hnd	UNR	OBC	SC	ST	Hnd	UNR	OBC	SC	ST	Hnd	UNR	OBC	SC	ST	Hnd	UNR	OBC	SC	ST	Hnd	UNR	OBC	SC	ST	Hnd	UNR	OBC	SC	ST	Hnd	UNR	OBC	SC	ST	Hnd
26	राजगढ़	38	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
27	हरदा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	दमोह	7	0	2	4	0	0	0	0	0	9	2	2	1	0	1	0	0	0	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0			
29	पन्ना	23	5	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	कटनी	12	4	6	7	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	छिंदवाडा	10	3	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	1	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
32	रीवा	0	0	0	15	0	1	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	6	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0				
33	अनूपपुर	15	6	4	24	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34	भोपाल	5	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
35	सीहोर	14	0	0	3	0	0	0	0	0	4	2	2	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0			
36	होशंगाबाद	6	1	5	4	1	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	4	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0			
37	विदिशा	10	0	4	1	0	0	0	0	0	8	2	3	1	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	रायसेन	9	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0			
39	इंदौर	9	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0				
40	उज्जैन	12	3	6	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0			
41	रतलाम	4	1	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
42	शाजापुर	13	3	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	मन्दासौर	18	3	2	1	0	0	0	0	0	6	2	2	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
44	नीमच	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
45	सागर	7	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0
46	जबलपुर	6	2	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
47	नरसिंहपुर	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
48	ग्वालियर	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	भिण्ड	8	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
50	मुरैना	10	1	0	0	0	0	0	1	0	11	2	3	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	कुल योग	500	114	149	472	27	8	0	1	0	113	27	29	64	1	2	1	2	4	0	176	34	35	68	0	6	1	0	4	0	6	1	1	2	0	28	3	1	8	0	